AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारत में तृतीय लिंग और मानवाधिकार

ORIGINAL ARTICLE

Author
मधु कुमारी
शोधार्थी, राजनिती विज्ञान
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड, भारत

शोध सार

भारत में विविधता में एकता सदैव विधमान रही है। इसकी संस्कृति उदार है, क्योकि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीवजन्तु, पशु–पक्षी को अपनाया गया है, और सदव्यवहार की बात कही गयी है। भारतीय समुदाय पशु–पक्षी, पेड़–पैधे, जीव–जंतु समेत शारीरिक व मानसिक दिव्यांगो को सहजता से अपनाता है, और उनका पालन–पोषण करता है। किन्तु सिर्फ लिंग भेद होने के कारण किसी इंसान को तृतीय लिंग के रूप में उनके परिवार व समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है जिसके बाद दर–दर की ठोकरे खाने व अपमान जनक जिंदगी जीने को वे विवश हो जाते है। उन्हें ऐसा कोई अधिकार नही मिल पाता है जिसका एक मानव प्राणी हक़दार है, जिसे मानवधिकार कहा जाता है। तृतीय लिंग को भी पांच मूल–भुत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के साथ–साथ रोजगार, समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार बिना किसी भेद–भाव के प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान समय में तृतीय लिंग का मुद्दा सिर्फ सामाजिक या स्वास्थय का मुद्दा नही है, बल्कि यह मानवाधिकार का और संवेदनशील मुद्दा है।

मुख्य शब्द

तृतीय लिंग मानवाधिकार, प्रसंविदा, अनुच्छेद, अधिनियम.

परिचय

भारतीय समाज मात्र दो लैगिक संकल्पनाओं को स्वीकार करता है, स्त्री और पुरुष, जबकि प्रारंभ से ही तीन लिंगो का वजुद रहा है, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। उदाहरणार्थ– महर्षि वात्सयायन द्वारा लिखी गयी पुस्तक कामसूत्र में इस तीसरे वर्ग के बारे में प्रकाश डाला गया है। महाभारत में शिखंडी का पात्र भी तृतीय लिंग की उपस्थिति का प्रमाण है। तृतीय लिंग एक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति को या तो स्वयं या समाज द्वारा न तो पुरुष और न ही महिला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तृतीय लिंग के समुदाय को किन्नर, कोथी, हिजड़ा, मंगलामुखी, मामू, उभयलिंगी, कोज्जा, पवैया, ख्वाजासरा इत्यादि नामों से जानते हैं। विभिन्न नामों से जाना जानेवाला यह तृतीय लिंग समुदाय हमारे भारत के पौराणिक ग्रंथो व साहित्य में अपनी पहचान बनाये रखे है। ये अलग बात है की इन्हें कभी उचित सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। सदैव उपेक्षित तिरस्कृत व भेदभाव भरे समाजिक बर्ताव ने इन्हें कभी हमारे समाज के साथ घुलने–मिलने नहीं दिया।

तृतीय लिंग के लिए अंग्रेजी में थर्ड (Third Gender) और ट्रांसजेंडर (Transgendor) शब्द का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग सन् 1960 के दशक में किया गया है और 1970 ई से यह शब्द निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा, जबकि 1980 के दशक में इस शब्द का आशय व्यापक हुआ। जन्म से लिंग के विपरीत जीने वाले सभी लोगों का समावेश ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग में किया गया है।[1] भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ''जन्मत लिंग के विपरीत मन और शरीर के साथ–साथ उसके व्यवहार का मिलन होने वाले व्यक्ति को तृतीय लिंगी कहा जाता है।'' भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार तृतीय लिंग समुदाय के मुख्य रूप से पांच उप वर्ग हिजड़ा, जोगप्पा,ट्रांस्वूमेन, ट्रांसमैन और कोथी है।[2]

वर्ष 2011 से पहले तृतीय लिंग समुदाय की जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार द्वारा पहली बार वर्ष 2011 की जनगणना में तृतीय लिंग की गिनती अन्य की श्रेणी में की गई वर्ष 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तृतीय लिंग की कुल जनसंख्या 4.88 लाख है।[3] जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि सामान्य आबादी में जहां साक्षरता दर 74 प्रतिशत है वहीं तृतीय लिंग समुदाय में साक्षरता दर मात्र 46 प्रतिशत है।[4] तृतीय लिंग व्यक्ति की शिक्षा अन्य पुरुष या महिला लिंग की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन तृतीय लिंग जिस सामाजिक कलंक का सामना करते हैं वह उनकी रुचि को तोड़ता है और उनमें बचने नजरअंदाज करने और बदनाम होने की भावना विकसित होती है और इस प्रकार तृतीय लिंग को अक्सर शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। यदि इन्हें शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो इनकी स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वह भिक्षा वृत्ति और शादी समारोह में प्राप्त नेंग द्वारा ही जीविकोपार्जन करते हैं, क्योंकि वह इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते कि नौकरी कर सकें।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 ईस्वी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें किन्नरों को एक विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग तृतीय लिंग की संज्ञा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले ने ट्रांसजेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिए और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। उसके बाद 5 दिसंबर 2019 ईस्वी को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई है।[5] भारत में तृतीय लिंग को भी कानूनन अन्य सभी अधिकार प्राप्त हो गए हैं जिसका सभी मानव प्राणी हकदार है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तृतीय लिंग को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए संसद ने भी कानून बना दिया है। इन सभी के आलोक में तृतीय लिंग की स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, किंतु परिवार और समाज के द्वारा जब तक उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक उन्हें उनका मानवाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। भारत में तृतीय लिंग को भी सभी मानवाधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होना चाहिए ताकि यह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और अपना पूर्ण विकास कर सके।

साहित्य समीक्षा

- **सुभाष शर्माः** भारत में मानवाधिकार,राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली 2017 ईस्वी में प्रकाशित इस पुस्तक में सभी वर्ग के लोगों के लिए मानवाधिकार पर प्रकाश डाला गया है और मानवाधिकार संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का भी विस्तृत वर्णन किया गया है।
- **सत्यनारायण साबतः** भारत में मानवाधिकार, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली 2015 ई० में प्रकाशित इस पुस्तक में वैदिक काल से आधुनिक काल तक मानवाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र द्वारा प्रदत मानव अधिकार का वर्णन किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किए गए उपबंधुओं की चर्चा की गई है।
- **मानव अधिकारः** नई दिशाएं, रजत जयंती विशेषांक,वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका के अंतर्गत थर्ड जेंडर की अस्मिता और मानवाधिकार के सवाल, आदिवासी अधिकार की अग्निशिखा, किशोर को व्यस्त मानकर न्याय करने की अवधारणाः एक आलोचना जैसे आलेखों के माध्यम

से मानवाधिकार के छिपे हुए मर्म को तलाशने की कोशिश की गई है।

- इसके अतिरिक्त कुछ शोध पत्रों और पत्रिकाओं का भी अध्ययन किया गया है और पाया गया कि भारत में तृतीय लिंग के मानवाधिकार की चर्चा का अभाव पाया गया है प्रस्तुत शोध पत्र इस कमी को पूरा करेगा।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र भारत में तृतीय लिंग और मानवाधिकार के अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है जिसके तहत किताबें, पत्रिका, शोध पत्र, वेबसाइट, यूट्यूब, के द्वारा अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य

- भारत में तृतीय लिंग के वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करना।
- भारत में तृतीय लिंग के मानवाधिकार का अध्ययन करना।
- भारत में तृतीय लिंग के मानवाधिकार प्राप्ति में सहायक नियम अधिनियम और योजनाओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना

- भारत में तृतीय लिंग के मानवाधिकार का हनन होता रहा है।
- तृतीय लिंग के मानवाधिकार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जारी की थी। इस घोषणापत्र में प्रस्तावना के अलावा 30 अनुच्छेद है। प्रस्तावना में मानव जाति के जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है।[6] भारत ने अपने संविधान में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लगभग सभी मानव अधिकार को मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में समाहित करने का पूरा प्रयास किया है। मौलिक अधिकार में शामिल सभी अधिकार प्रवर्तनीय है जबकि नीति निर्देशक तत्व में शामिल उपबंध अप्रवर्तनीय है।

भारत में मानवाधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी।[7] यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई है। यह आयोग भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संस्था भारतीय संविधान द्वारा अभीनिश्चित तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह संस्था भारत में प्रत्येक मानव का चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या तृतीय लिंग सभी के मानवाधिकार संरक्षण के प्रति उत्तरदाई है।

भारत में तृतीय लिंग और मानवाधिकार

मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएच आर में अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार और मर्यादा में समान हैं उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्वभाव युक्त व्यवहार करना चाहिए।[8] किंतु तृतीय लिंग को जन्म से ही किसी प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। UDHR के अनुच्छेद –2 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद –14 व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषेध करता है,किंतु तृतीय लिंग के साथ सिर्फ लिंग के आधार पर ही काफी भेदभाव किया जाता है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है।[9] वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।[10] भारत में कानून की नजर में सभी समान है फिर भी तृतीय लिंग समुदाय निरंतर संघर्ष में है क्योंकि उन्हें परिवार से लेकर,समाज के हर हिस्से से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और भेदभाव से लड़ना पड़ता है। तृतीय लिंग का जीवन एक दैनिक लड़ाई है, क्योंकि उन्हें कहीं भी स्वीकृति नहीं किया जाता है और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उनका उपहास भी किया जाता है। UDHR का के

अनुसार किसी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा किंतु विडंबना यह है कि भारत में तृतीय लिंग के साथ हमेशा अपमानजनक व्यवहार होता है। कुछ अवसर जैसे कि बच्चे का जन्म शादी विवाह में आशीर्वाद और बधाई पाने के लिए इनका सम्मान किया जाता है।

भारतीय संविधान और UDHR किसी भी मानव को एक उम्र के बाद विवाह करने व अपना परिवार स्थापित करने का अधिकार देता है किंतु तृतीय लिंग का अपना समुदाय तो होता है किंतु परिवार स्थापित नहीं होता क्योंकि भारतीय समाज तृतीय लिंग के वैवाहिक संबंध को मान्यता नहीं देता है। UDHR का अनुच्छेद 23 और भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन हेतु पेशा चुनने और काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने की व्यवस्था करता है किंतु तृतीय लिंग के लिए कोई काम का उचित विकल्प नहीं होने के कारण यह ट्रेनों में चौराहों पर भीख मांगते हैं समारोह में नेग मांगते हैं और मजबूरी में वेश्यावृत्ति के पेशे को भी अपना लेते हैं। वेश्यावृत्ति के पेशे में इन्हें एचआईवी जैसी प्राणघातक बीमारियां भी हो जाती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 तथा UDHR का अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक मानव को शिक्षा पाने का अधिकार है, किंतु तृतीय लिंगी बच्चे को विद्यालय में नामांकन नहीं मिल पाता है यदि बच्चा विद्यालय जाने भी लगता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जिससे कि वह कुछ समय बाद विद्यालय जाना छोड़ देता है। शिक्षा के अभाव में तृतीय लिंग जीविकोपार्जन हेतु बेहतर विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और भारतीय संविधान में वर्णित उपबंधो के बावजूद भारत में तृतीय लिंग की स्थिति निम्न एवं चिंतनीय है। 15 अप्रैल 2014 ईस्वी के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को मान्यता दी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष महिला या तीसरे लिंग के रूप में उनकी पहचान करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि तृतीय लिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए एक लंबी प्रक्रिया के बाद 5 दिसंबर 2019 ईस्वी को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को भारत में कानूनी मान्यता मिल गई।[11] ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 तृतीय लिंग समुदाय के लिए वरदान साबित हो रहा है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। यह अधिनियम तृतीय लिंग के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम प्रत्येक तृतीय लिंग व्यक्ति को अपने परिवार में रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार देता है साथ ही रोजगार के लिए निजी या सरकारी संस्था द्वारा बिना किसी भेदभाव के रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के तृतीय लिंग को समावेशी शिक्षा,खेल एवं मनोरंजन का अधिकार दिया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, पहचान पत्र प्राप्ति के लिए नियम बनाए गए हैं। सरकार को तृतीय लिंग हेतु कल्याणकारी उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया है। तृतीय लिंग के खिलाफ किए गए अपराधों जैसे की भीख मंगवाना,बंधुआ मजदूरी करवाना,सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, उन्हें परिवार,गांव इत्यादि में निवास करने से रोकना किसी प्रकार के उत्पीड़न के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।[12]

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के बाद केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर नागरिकों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों को नवमी से स्नातक तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत 500000 रू. तक का स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी मर्जी से लिंग परिवर्तन की स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर से तृतीय लिंग के लिए बेहतर योजनाएं और नियम बना रही है।[13]

कर्नाटक राज्य भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर को 1 प्रतिशत का

आरक्षण दिया है इसके तहत जब भी कर्नाटक में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तो पुरुष एवं महिला कॉलम के साथ अन्य कॉलम भी

जोड़ा जाना चाहिए यह निश्चित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में तृतीय लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो।[14]

कर्नाटक सरकार ने यह फैसला समाज के पूर्वाग्रहों को खत्म करके ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने में मदद करने के लिए किया है एनजीओ संगमा की निशा गूलर ने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में मौका देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर मध्यप्रदेश उभयलिंगी अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत राज्य शासन के सीधी भर्ती के पदों में उभय लिंगी व्यक्ति को शामिल करने का आदेश दिया है।[15]

निजी क्षेत्र में कार्यरत भारत के टाटा स्टील देश की पहली स्टील निर्माता कंपनी है जो ट्रांसजेंडर को ट्रेनिंग देकर अपने यहाँ नियोजित कर रही है। टाटा स्टील कंपनी ट्रांसजेंडर को माइनिंग क्षेत्र में ड्राइवर मशीन ऑपरेटर लोको पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर कंपनी में नौकरी दे रही है। उत्थान एनजीओ के संस्थापक अमरजीत गिल जो ट्रांसजेंडर है और प्रस्तुत एंड है भी टाटा स्टील कंपनी में डंपर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। अमरजीत गिल ने लोकतंत्र न्यूज़ द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि जहां उनके परिवार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया वहां टाटा स्टील ने उन्हें स्वीकार किया और नौकरी दी। टाटा स्टील ने अब तक कुल 102 ट्रांसजेंडर को नौकरी दी है। कंपनी ने उनके लिए अलग शौचालय, रेस्ट रूम और फ्लैट की भी व्यवस्था किया है।[16]

सरकार से ट्रांसजेंडर समुदाय नाराज है क्योंकि ट्रांसजेंटर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने के बाद भी सरकार द्वारा गिने–चुने प्रयास नहीं हुए हैं जिससे समुदाय संतुष्ट नहीं है। तृतीय लिंग समुदाय का मांग है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह भारत के सभी राज्यों को सरकारी पदों पर ट्रांसजेंटर के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना चाहिए। टाटा स्टील कंपनी की तरह ही सभी निजी कंपनी को भी पहल करना चाहिए इससे ट्रांसजेंडर वर्ग सम्मान पूर्वक जी सकेंगे और उनके सभी मानव अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

भारत में बहुत ट्रांसजेंडर ऐसे भी है जो समाज से संघर्ष करने के बाद अपने अधिकारों को पाया है उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोइता मंडल। इन्होंने तीसरे लिंग के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण पर बल दिया है ताकि तीसरे लिंग को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके। जोइता मंडल ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और तीसरे लिंग द्वारा बच्चों को गोद लेने के अधिकार पर भी जोर दिया है। जोइता मंडल ने कहा कि आज भी ट्रांसजेंडर का स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। ट्रांसजेंडर अपने लिए अलग सुविधा नहीं चाहते क्योंकि इससे वे समाज से अलग–थलग हो जाएंगे,यह दूसरों के साथ सुविधाएं चाहते हैं।[17]

ट्रांसजेंडर मानवाधिकार के संघर्ष में एक और नाम है डॉक्टर धनंजय चौहान का। हजारों ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई दुर्व्यवहार के कारण छोड़ना पड़ा है। सभी तरह के संघर्ष को पार करते हुए धनंजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। धनंजय ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पूरी कर पीएचडी की उपाधि धारण की है। सभी ट्रांसजेंडर की तरह उनके लिए भी यह आसान नहीं था अपनी पहचान को स्वीकार करना और अपनी पढ़ाई पूरा करने का निर्णय धनंजय के लिए आसान नहीं था, फिर भी चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की स्नातक का स्तर पर कॉलेज में प्रथम आने के लिए कॉलेज भी चुना गया था, जो कॉलेज का मान सम्मान बढ़ाने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता था। धनंजय की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ 21 वर्ष की आयु में कर दी गई। स्नातकोत्तर करने के लिए 1993 में इतिहास विभाग में प्रवेश लिया लेकिन छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का शिकार

हुए, और तंग आकर विभाग छोड़ दिया। फिर उन्होंने फ्रेंच और रशियन भाषा में डिप्लोमा किया। 1993 में ही विश्वविद्यालय में लिपिक पद हेतु चुने गए। 1994 में एलएलबी में नामांकन करवाया किंतु, हॉस्टल में इनके साथ बलात्कार हुआ और इन्होंने फिर से पढ़ाई छोड़ दी। लिपिक पद पर कार्य करते हुए इन्हें 1998 में पेपर लिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। धनंजय के जीवन का 43 से 44 साल खुद की पहचान ढूंढने में निकल गया था। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के थर्ड जेंडर पहचान संबंधी निर्णय आने के बाद,पंजाब विश्वविद्यालय से प्रवेश फॉर्म में, थर्ड जेंडर का कॉलम देने के लिए कहा गया। तब वर्ष 2016 में पंजाब विश्वविद्यालय की पहली ट्रांसजेंडर विद्यार्थी के रूप में धनंजय ने प्रवेश लिया। प्रवेश लेने के बाद अलग टॉयलेट बनाने का आश्वासन के साथ अस्थाई तौर पर लड़कियों का टॉयलेट उपयोग करने की सहमति प्रदान की गई। वर्तमान समय में धनंजय पीएचडी की उपाधि धारण कर चुकी है।[18]

एक हिजड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अपने जीवन के दुखद घटनाओं के बारे में बताया कि,मैं अपने उम्र के लड़कों से अलग महसूस करता था,क्योंकि मेरे तरीके स्त्री के जैसी थी। उसके अस्तित्व के कारण कम उम्र से ही मुझे बार–बार भीतर और बाहर दोनों जगह यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और यौन शोषण का सामना करना पड़ा था, मेरे अलग होने के कारण मैं अलग–थलग पड़ गया था,और जब मैं अपनी पहचान के साथ आ रहा था,तब मुझसे बात करने वाला या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हर कोई मुझे छक्का, हिजड़ा कह कर लगातार प्रताड़ित करता था।[19]

भेदभाव के खिलाफ निषेध

ऐसे कई उदाहरण है जिससे पता चलता है कि ट्रांसजेंडर को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है सबसे ज्यादा भेदभाव आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर वर्ग संसाधनों की कमी से पीड़ित हैं। ट्रांसजेंडर को मानवाधिकार प्राप्ति हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में भेदभाव के खिलाफ निषेध शामिल है। इस अधिनियम के तहत मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैः

- तृतीय लिंग के शिक्षा महिला या पुरुष की तरह ही महत्वपूर्ण है। लेकिन, तृतीय लिंग भेदभाव का सामना करते हैं,उससे उनकी शिक्षा के प्रति रुचि खत्म होती है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, और उनमें नजरअंदाज करने, बचने और बदनाम होने की भावना ज्यादा विकसित होती है जिससे तृतीय लिंग शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तृतीय लिंग के शिक्षा के मानवाधिकार की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए शिक्षा मनोरंजन सुविधाएं और खेल का अधिकार प्रदान करता है।
- तृतीय लिंग को पर्याप्त और, समानता का सामना करना पड़ता है। उचित देखभाल की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा के कारण उनमें अवसाद,आत्महत्या का भावना,हिंसा और उत्पीड़न तथा एचआईवी जैसी बीमारियां हो जाती है। तृतीय लिंग को सुखी जीवन जीने व सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) 2019 कहता है कि सरकार को तृतीय लिंग के स्वास्थ्य देखभाल के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। अलग से एचआईवी निगरानी केंद्र और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी शामिल होनी चाहिए,और तृतीय लिंग को एक व्यापक चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाना चाहिए।[20]
- तृतीय लिंग मुख्य रूप से गोपनीयता का उल्लंघन किराए पर लेने से इनकार,और उत्पीड़न के रूप में भेदभाव का शिकार होते हैं,जो उन्हें बेरोजगारी व गरीबी की ओर ले जाता है। अधिनियम 2019 में कहा गया है कि,सरकार या निजी संस्थाएं तृतीय लिंग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती,जिसमें भर्ती और पदोन्नति शामिल है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में प्रावधान किया है कि सरकार को समाज में तृतीय लिंग की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए और इस वर्ग के मानवाधिकार की रक्षा के लिए

कल्याणकारी योजनाएं और उपाय लागू करना चाहिए।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, 20 जनवरी 2020 से ही शुरू होने के बाद भी, तृतीय लिंग के मानवाधिकार का उल्लंघन होता रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने और संसद ने तृतीय लिंग के मानवाधिकार संरक्षण हेतु बेहतर प्रयास किया है लेकिन इसका लाभ सभी ट्रांसजेंडर को नहीं मिल रहा है आज तृतीय लिंग की अधिकाधिक संख्या का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तृतीय लिंग की मानवाधिकार की वास्तविक स्थिति का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता हैः

- तृतीय लिंग समुदाय सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित है और इसलिए उनके शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित है जो उन्हें कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित करती है।
- तृतीय लिंग समुदाय को भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है इसलिए उनके पास कम अवसर होते हैं। उन्हें सामान्य बच्चों की तरह स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती है इसलिए वे शायद ही शिक्षित हो पाते हैं।
- शिक्षा व रोजगार के अभाव में तृतीय लिंग समुदाय बधाई मांगने, भीख मांगने और सेक्स वर्कर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं।
- सामान्यतः किसी नौकरी में महिला या पुरुष लिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस सोच की वजह से तृतीय लिंग को शायद ही रोजगार में मौका मिलता है। यदि वे ऐसा करते भी हैं तो उनका उपहास और बहिष्कार किया जाता है और उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।
- तृतीय लिंग को समाज में एचआईवी के वेक्टर के रूप में देखा जाता है,क्योंकि यह और सुरक्षित यौन संभोग के लिए मजबूर होते हैं। इन्हें अन्य संक्रमित बीमारियां जैसे कि गोनोरिया सिफलिस आदि भी हो जाता है।

निष्कर्ष

भारत में तृतीय लिंग और उनके मानवाधिकार के लिए सरकारे प्रयास कर रही है जिसका परिणाम अच्छा आ रहा है। सिर्फ संविधान और सरकार के उपबंध से तृतीय लिंग का जीवन बेहतर नहीं हो सकता है बल्कि परिवार व समाज को भी आगे आना चाहिए और इनकी परवरिश सामान्य बच्चे की तरह की जानी चाहिए। तृतीय लिंग बच्चे को प्रारंभ से ही प्रोत्साहन दिया जाए तो यह भी सभी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। सरकार और समाज की कोशिश होना चाहिए कि प्रत्येक तृतीय लिंग मानव को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा के साथ–साथ सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो सके।

संदर्भ सूची

1. मोहन, आर. (2022), तृतीय लिंग समुदाय के स्वास्थ संबंधी संघर्ष का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, *शोध समागम,* 3(4), 418।
2. मोहन, आर. (2021) किन्नरों के मानवाधिकार और सामाजिक विकास, सुबह की धूप, पृ. 26–28।
3. Transgender/others- Census 2011 India, Retrived from https://www-census2011-co-in.translate.goog/transgender.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc
4. अभिषेक, अ. (2021) किन्नर एवं उनके मानवाधिकार, *बोहल शोध मंजूषा,* किन्नर महा विशेषांक, 758 –761।
5. उप्रेती, प. (nd). थर्ड जेंडर को समान अधिकारों के साथ समान नजरिया भी चाहिए. : https://hindi.news18.com/blogs/prakash-upreti/transgender-needs-equal-rights-and-views-3217762.html
6. साबत, एस.एन. (2015) *भारत में मानवाधिकारः वैदिक काल से आधुनिक काल तक,* नई दिल्ली राधाकृष्ण प्रकाशन।

7. अग्रवाल, एच. ओ. (2021), *मानवधिकार,* प्रयागराज, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, पृ. 287।
8. साबत, एस.एन. (2015) *भारत में मानवाधिकारः वैदिक काल से आधुनिक काल तक,* नई दिल्ली राधाकृष्ण प्रकाशन।
9. साबत, एस.एन. (2015) *भारत में मानवाधिकारः वैदिक काल से आधुनिक काल तक,* नई दिल्ली राधाकृष्ण प्रकाशन।
10. गुप्ता एस. (2022). भारत में ट्रांसजेंडर के अधिकार क्या हैं. Retrieved from Pleaders: https://hindi.ipleaders.in/what-are-the-powers-of-the-transgender-in-india/
11. LONDUN (2014). भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्व–पहचान के अधिकार को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी. Retrieved from इक्वल राइट्स ट्रस्ट : https://www-equalrightstrust-org.translate.goog/news/indian-supreme-court-recognises-right-self-identify-third-gender?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc
12. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019, PRS LEGISLATIVE RESEARCH, Retrived from https://hi.prsindia.org/billtrack/%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2-2019
13. सिंह, ए. (2022). भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू की गई SMILE योजना, स्वास्थ्य बीमा से लेकर स्कॉलरशिप तक का मिलेगा लाभ. Retrieved from Knocksense Hindi: https://www.knocksense.com/hindi/smile-scheme-for-transgenders-and-beggers
14. कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना. Retrieved from dhyeyaias: https://www.dhyeyaias.com/hindi/current-affairs/daily-current-affairs/karnataka-becomes-first-state-in-india-to-provide-reservation-to-transgenders-in-all-government-services
15. शर्मा एच. (2022). मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला अब सरकारी य़ोजनाओं का लाभ और नौकरी के लिए पात्र हुए थर्ड जेंडर Retrieved from. Patrika: https://www.patrika.com/bhopal-news/third-gender-eligible-for-government-jobs-and-scheme-7514427/
16. सिंह, जे. (2022) Tata Steel : ट्रांसजेंडरों को नौकरी दे रुढ़िवादिता को ऐसे तोड़ रही टाटा स्टील, आप भी जान हैरान रह जाएंगे, Retrieved from. Jagran: https://www.jagran.com/jharkhand/jamshedpur-tata-steel-is-breaking-the-stereotype-by-giving-jobs-to-transgenders-22485975.html
17. Youtube
18. एएमएपी, (2022). थर्ड जेंडर को मिले नौकरियों में आरक्षण, देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश ने की मांग, Retrieved from. Apkaakhbar: https://apkaakhbar.in/reservation-for-third-gender-in-jobs-countrys-first-transgender-judge-demands/
19. स्त्रीकाल डेस्क,(2018). पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट (पंजाब विश्वविद्यालय) के संघर्ष की कहानी, Retrieved from streekaal: https://streekaal.com/2018/05/dhananjay-the-transgender-activist-and-studen/amp/
20. गुप्ता, एस. (2022) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 Retrieved from hindi.ipleaders: https://hindi.ipleaders.in/the-transgender-persons-protection-of-rights-act-2019/

——==00==——